सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax.: 0522-4003787, Website- www.socialauditup.in,
E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 668 / सो.आ.नि.–220 / 14
दिनाँकः 24 मार्च, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः स्टेशनरी / कम्प्यूटर एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु धनराशि आवंटन के संबंध में सूचनाओं का प्रेषण।

महोदय,

कृपया इस निदेशालय के पत्र संख्या 467 / सो0आ0नि0–220 / 2013, दिनांक 31–12–2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, अशोक मार्ग लखनऊ के खाता सं0 33334969131 से कम्प्यूटर एवं एसेसरीज क्रय हेतु स्टेशनरी / कार्यालय व्यय / इन्दिरा आवास सोशल आडिट टीम के प्रशिक्षण हेतु धनावंटन करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर क्रेडिट लिमिट के पैटर्न पर आहरण की सुविधा अनुमन्य की गई थी जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 611 / सो0आ0नि0–220 / 2014, दिनांक 24.01.2014 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

कतिपय जनपदों से पूर्व आवंटित धनराशि के सापेक्ष बजट की मांग की गई है। पुनः बजट आवंटन के लिए निम्नलिखित सूचनाएं वांछित हैंः–

क्र.	मदवार आवंटित धनराशि	व्यय					अवशेष
		मानदेय	यात्रा–व्यय	कम्प्यूटर व्यय	प्रासंगिक व्यय	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8

आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रारूप पर तत्काल सूचना ई–मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT